आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
1/2/2013	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील सं0 50/2012** **ओमकेश्वर चतुर्वेदी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढ़ौरा के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण आदेश ज्ञापांक 1911 दिनांक 14/6/2012 के विरूद्ध समर्पित किया गया है। इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 2/6/2012 को एक अनुमंडल स्तरीय जाँच दल द्वारा अपीलकर्त्ता की जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण में पाई गई कतिपय अनियमितताओं के बिन्दु पर उनसे कारणपृच्छा की गयी। तत्पश्चात् प्रश्नगत आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्त्ता ने स्पष्ट किया कि उसके विरूद्ध किसी प्रकार के आरोप प्रमाणित नहीं है और तथ्यों या साक्ष्यों के परीक्षण के बगैर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जो विधि-सम्मत् नहीं है। प्रश्नगत आदेश का समर्थन करते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की वैधानिक विसंगति नहीं है और इसके साथ हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। दोनों पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता के विरूद्ध पहला आरोप यह है कि उनके द्वारा भंडार पंजी में गेहूँ एवं चावल की अलग-अलग मात्रा प्रदर्शित नहीं की गयी है। उसके विरूद्ध दूसरा आरोप यह है कि अलग-अलग महीनों में एक ही उपभोक्ता के कमांक में भिन्नता पायी गई है। अपीलकर्त्ता का तीसरा आरोप यह है कि एक कूपन पर दो व्यक्तियों को बी0पी0एल0 खाद्यान्न की आपूर्त्ति की गई और बिना कूपन के एक व्यक्ति को खाद्यान्न की आपूर्त्ति की गयी है। पहले आरोप का खंडन करते हुए अपीलकर्त्ता ने कहा कि भंडार पंजी के विभिन्न स्तम्भों में गेहूँ एवं चावल अलग-अलग दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है और [illegible]	

किसी भी विक्रेता के द्वारा नहीं किया जाता है। दूसरे आरोप का खंडन करते हुए अपीलकर्ता ने कहा कि कूपन क्रमांक में दर्ज किया अंतर भी मात्र तकनीकी त्रुटि है, क्योंकि कई बार कूपन क्रमांक आगे-पीछे अंकित हो जाते हैं। ऐसा विशेषकर तब होता है, जब कई संबंधित परिवार किसी एक अधिकृत व्यक्ति को आवश्यक वस्तु की खरीद के लिए भेजता है और कूपन क्रमांक भरते समय परिवारों के सामने अंकित कूपन असावधानी के कारण अदल-बदल जाते हैं। तीसरी त्रुटि का खंडन करते हुए अपीलकर्त्ता ने कहा कि यह मात्र एक तकनीकी विसंगति है और इसके पीछे किसी प्रकार की आपराधिक हेरा-फेरी नहीं है। उपभोक्ताओं की भीड़ के कारण कई बार कई प्रविष्टियाँ अंकित नहीं हो पाती है या स्थान पर अंकित नहीं हो पाती है और इन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अपीलकर्त्ता को दंडित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त परीक्षण से मुझे यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध मात्र अत्यन्त तकनीकी विसंगतियों को आरोपों के रूप में रखा गया है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये त्रुटियाँ भी इतनी संख्या में नहीं है कि अपीलकर्त्ता के विरुद्ध किसी प्रकार के आरोप प्रमाणित हो। इसके अतिरिक्त अपीलकर्त्ता के विरुद्ध अन्य कोई आरोप नहीं पाए गए हैं और न ही किसी उपभोक्ता ने किसी अनियमितता की शिकायत की है।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। किन्तु अपीलकर्त्ता को यह निदेश दिया जाता है कि भविष्य में वे विभिन्न अभिलेखों में प्रविष्टियाँ दर्ज करते समय सावधानी बरतेंगे। अगर इस प्रकार की तकनीकी विसंगतियाँ दुबारा पाई जाएगी तो इस संदेह का लाभ उन्हें भविष्य में नहीं दिया जाएगा।

लेखाप्रित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक ______ /विधि, दिनांक ______

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को भवदीय पत्रांक 3477 दिनांक 18-10-2012 द्वारा अभिलेख संख्या- 118/2012 के साथ संलग्न रिविजन संख्या- 15-99/12 प्राप्त हुआ था को मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- अभिलेख सं०- 118/2012 एवं रिविजन सं०- 15-99/12

ओम प्रकाश चतुर्वेदी

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 301 /दिनांक 9.2.2013

प्रतिलिपि- एन० आई० सी० पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
09/02/13